

# पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890

(1890 का अधिनियम संख्यांक 6)<sup>1</sup>

[17 मार्च, 1890]

पूर्त प्रयोजनों के लिए न्यास के रूप में धारित सम्पत्ति के निहित किए जाने और प्रशासन का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि पूर्त प्रयोजनों के लिए न्यास के रूप में धारित सम्पत्ति के निहित किए जाने और प्रशासन का उपबन्ध किया जाए; अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 है।

(2) इसका विस्तार 2[जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] 3\*\*\* सम्पूर्ण भारत पर है; तथा

(3) यह 1 अक्टूबर, 1890 को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में “पूर्त प्रयोजन” के अन्तर्गत गरीबों को राहत, शिक्षा, चिकित्सीय सहायता और साधारण लोकोपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना है, किन्तु अनन्यतः धार्मिक शिक्षा और पूजा से संबंधित प्रयोजन इसके अन्तर्गत नहीं हैं।

3. पूर्त विन्यास कोषपाल की नियुक्ति और निगमन—<sup>4</sup>[(1) केन्द्रीय सरकार किसी सरकारी अधिकारी को उसके पदनाम से भारतीय पूर्त विन्यास कोषपाल नियुक्त कर सकेगी और किसी राज्य की सरकार किसी सरकारी अधिकारी को उसके पदनाम से उस राज्य का पूर्त विन्यास कोषपाल नियुक्त कर सकेगी।]

(2) इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन जंगम या स्थावर सम्पत्ति लेने, धारण करने या अंतरित करने के प्रयोजनार्थ ऐसा कोषपाल एक एकल निगम होगा, जिसका नाम, 5[यथास्थिति, भारतीय] पूर्त विन्यास कोषपाल 6[या राज्य का] पूर्त विन्यास कोषपाल होगा और ऐसे कोषपाल के रूप में उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक निगम मुद्रा होगी तथा अपने निगमित नाम से वह वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

6[3क. समुचित सरकार आदि की परिभाषा—इस अधिनियम के पश्चात्पूर्ती उपबन्धों में “समुचित सरकार” से ऐसे पूर्त विन्यास के सम्बन्ध में जिसके उद्देश्यों का प्रसार एक राज्य से आगे नहीं है और जो उद्देश्य ऐसे हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार के कार्यपालक प्राधिकार का विस्तार नहीं है, उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है और किसी अन्य पूर्त विन्यास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।]

4. कोषपाल में सम्पत्ति निहित करने के आदेश—(1) जहां कोई सम्पत्ति पूर्त प्रयोजन के लिए न्यास के रूप में धारित हो या उपयोजित की जानी हो वहां, यदि 7[समुचित सरकार] ठीक समझे तो, वह इसमें इसके पश्चात् वर्णित रूप से आवेदन किए जाने पर तथा इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना<sup>8</sup> द्वारा, आदेश दे सकेगी कि वह सम्पत्ति पूर्त विन्यास कोषपाल में, उस सम्पत्ति या उसकी आय के उपयोजन विषयक ऐसे निबन्धनों पर निहित हो जिनका करार 7[समुचित सरकार] और आवेदन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच हो और तब वह सम्पत्ति तदनुसार निहित हो जाएगी।

(2) जब कोई सम्पत्ति इस धारा के अधीन पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित हो जाए तो वह तत्सम्बन्धी सभी हक दस्तावेजों का हकदार होगा।

<sup>1</sup> यह अधिनियम सन्थाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा सन्थाल परगना में; खण्डमल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा खण्डमल जिले में; और आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में, प्रवृत्त घोषित किया गया है।

इस अधिनियम का संशोधन इसके लागू करने के सम्बन्ध में, बंगाल में बंगाल बन्क ऐक्ट, 1934 (1934 का बंगाल अधिनियम 13) द्वारा यह अधिनियम किसी ऐसे बन्क को लागू नहीं होगा जिसे बन्क अधिनियम, 1954 (1954 का 29) लागू होता है।

यह अधिनियम 1963 के विनियम 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली में, 1963 के विनियम 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव में, 1965 के विनियम 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप में और 1963 के विनियम 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी में विस्तारित और प्रवर्तित किया गया। यह अधिनियम 1959 के मद्रास अधिनियम सं० 22 में (जब अधिसूचित किया गया) मद्रास राज्य में प्रवृत्त नहीं रहा।

अधिनियम का मैसूर में 1973 के मैसूर अधिनियम सं० 19 द्वारा संशोधन किया गया है।

<sup>2</sup> 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्यों के सिवाय” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “जिसमें ब्रिटिश बलुचिस्तान सम्मिलित है” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय शासन के राज्यक्षेत्रों के अधीन का” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>7</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय शासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>8</sup> धारा 5 के साथ-साथ इस धारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना के लिए भिन्न-भिन्न स्थानीय नियम और आदेश देखिए।

1\*

\*

\*

\*

\*

(4) इस धारा के अधीन पूर्त विन्यास कोषपाल में सम्पत्ति निहित करने के आदेश द्वारा यह न अपेक्षित होगा और न अपेक्षित समझा जाएगा कि वह सम्पत्ति का प्रशासन करे और ऐसा आदेश उस पर उसके प्रशासन की बाबत न्यासी के कर्तव्य न अधिरोपित करेगा और न अधिरोपित करता समझा जाएगा ।

**5. कोषपाल में निहित सम्पत्ति के प्रशासनार्थ स्कीमें—**(1) इसमें इसके पश्चात् वर्णित रूप से आवेदन किए जाने पर तथा आवेदन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की सहमति से, <sup>2</sup>[समुचित सरकार] यदि वह उचित समझे, उस सम्पत्ति के प्रशासन के प्रयोजनार्थ एक स्कीम बना सकेगी जो पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित हो गई हो या होनी हो और वह ऐसी स्कीम में किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा कोषपाल न हो या किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को जिनमें ऐसा कोषपाल सम्मिलित न हो, उस सम्पत्ति का प्रशासन करने के लिए नाम या पदनाम से, नियुक्त कर सकेगी ।

(2) इसमें इसके पश्चात् वर्णित रूप से किए गए आवेदन पर तथा आवेदन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की सहमति से, <sup>2</sup>[समुचित सरकार] द्वारा यदि वह ठीक समझे, इस धारा के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में परिवर्तन कर सकेगी अथवा उसके स्थान पर कोई अन्य स्कीम प्रतिस्थापित कर सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन बनाई गई, परिवर्तित या प्रतिस्थापित स्कीम इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस दिन प्रवर्तन में आएगी जो <sup>2</sup>[समुचित सरकार] द्वारा इस निमित्त नियत किया जाए और वह तब तक प्रवर्तन में बनी रहेगी जब तक तत्सम्बन्धी सम्पत्ति पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित बनी रहे या जब तक वह परिवर्तित न हो जाए या अन्य स्कीम द्वारा प्रतिस्थापित न हो जाए ।

(4) प्रवर्तन में आने पर ऐसी स्कीम उसकी विषयवस्तु से संबंधित किसी ऐसी डिक्री या निदेश को वहां तक अधिक्रांत कर देगी जहां तक ऐसी डिक्री या निदेश उससे किसी प्रकार विरुद्ध हो और उसकी विधिमान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत न की जाएगी और कोई न्यायालय स्कीम से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति के प्रशासन की बाबत कोई ऐसी डिक्री या निदेश देगा जो स्कीम के उपबन्धों का उल्लंघन करे या किसी प्रकार उसके प्रतिकूल हो या उसके अतिरिक्त हो :

<sup>3</sup>[परन्तु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि वह न्यायालय को इस बात की जांच करने से प्रवारित करती है कि वह सरकार जिसके द्वारा स्कीम बनाई गई, समुचित सरकार थी या नहीं ।]

(5) जहां तक न्यासकर्ता की आकांक्षाएं विनिश्चित की जा सकें और <sup>2</sup>[समुचित सरकार] की राय में ऐसी हों कि उन्हें उचित रूप से प्रभावी किया जा सकता है, वहां तक उन्हें ऐसी स्कीम बनाने में प्रभावी किया जाएगा ।

(6) जहां किसी ऐसी सम्पत्ति के प्रशासन के लिए, जो पहले से पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित न हो, कोई स्कीम बनाई जाए वहां वह तब तक प्रवर्तन में न आएगी जब तक वह सम्पत्ति इस प्रकार निहित न हो जाए<sup>4</sup> ।

**6. निहित करने के आदेशों और स्कीमों के लिए आवेदन करने का ढंग—**(1) अन्तिम दो पूर्वगामी धाराओं में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित रूप से किया जाना चाहिए :—

(क) यदि कोई सम्पत्ति पहले से ही किसी पूर्त प्रयोजन के लिए न्यास के रूप में धारित हो तो उस व्यक्ति द्वारा जो न्यास का प्रशासन कर रहा हो और जहां एक से अधिक व्यक्ति ऐसा कर रहे हों, वहां उन व्यक्तियों द्वारा या उनकी बहुसंख्या द्वारा ; तथा

(ख) यदि सम्पत्ति ऐसे प्रयोजनार्थ न्यास के लिए उपयोजित की जानी हो तो उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे उपयोजन की प्रस्थापना करे या करें ।

(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ, पूर्त प्रयोजनार्थ न्यास के रूप में धारित सम्पत्ति के मृत न्यासी के निष्पादक या प्रशासक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसा व्यक्ति है जो न्यास का प्रशासन कर रहा है<sup>5</sup> ।

**7. [स्थानीय शासन की शक्तियों का सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोग किया जाना ।]**—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा लोप किया गया ।

**8. कोषपाल का केवल न्यासी होना—**(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पूर्त विन्यास कोषपाल, ऐसे कोषपाल के रूप में किसी ऐसे न्यास का प्रशासन नहीं करेगा जिसकी कोई सम्पत्ति तत्समय इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित हो ।

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा उपधारा (3) का लोप किया गया ।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय शासन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>4</sup> बंगाल बन्क अधिनियम, 1934 (1934 का 13) की धारा 79 द्वारा धारा 5 में, जो केवल बंगाल को लागू है, एक परन्तुक जोड़ा गया है ।

<sup>5</sup> बंगाल बन्क अधिनियम, 1934 (1934 का बंगाल अधिनियम 13) की धारा 80 द्वारा एक नई उपधारा (3), जो केवल बंगाल को लागू है, जोड़ी गई है ।

(2) ऐसा लोकपाल तत्समय इस प्रकार निहित प्रत्येक सम्पत्ति का, जहां तक वह सम्पत्ति धन की प्रतिभूति के रूप में हो, एक अलग लेखा रखेगा और उस सम्पत्ति या उसकी आय का उपयोजन धारा 4 के अधीन किए गए निहित करने के आदेश में, अथवा धारा 5 के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में, यदि कोई हो, या इन दोनों दस्तावेजों में इस निमित्त किए गए उपबन्ध के अनुसार करेगा।

(3) धन की प्रतिभूति से भिन्न, इस प्रकार निहित किसी अन्य सम्पत्ति की दशा में ऐसा कोषपाल उस प्राधिकारी से, जिसके आदेश से सम्पत्ति उसमें निहित हुई, प्राप्त किसी विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, न्यास का प्रशासन करने वाले व्यक्तियों को अनुदेश देगा कि वे इस प्रकार सम्पत्ति का कब्जा रखें, उसका प्रबन्ध करें तथा उस पर नियंत्रण रखें और उसकी आय का उपयोजन करें मानो सम्पत्ति उनमें निहित हुई हो।

**9. कोषपाल में निहित सम्पत्तियों की सूची का वार्षिक प्रकाशन**—पूर्त विन्यास कोषपाल इस अधिनियम के अधीन उसमें तत्समय निहित सब सम्पत्तियों की एक सूची तथा अन्तिम पूर्वगामी धारा की उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा रखे गए लेखाओं का संक्षेप ऐसे समय पर, जिसका <sup>1</sup>[समुचित सरकार] निदेश दे, राजपत्र में प्रतिवर्ष प्रकाशित कराएगा।

**10. कोषपाल से कृत्यों और शक्तियों की परिसीमा**—(1) पूर्त विन्यास कोषपाल सदा एकल न्यासी होगा और ऐसे कोषपाल के रूप में कोई भी सम्पत्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ही लेगा या धारित करेगा, अन्यथा नहीं और उक्त उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह अपने में निहित किसी सम्पत्ति को तभी अन्तरित करेगा जब ऐसा कार्य किसी ऐसी डिक्री के अनुपालन में हो जो सम्पत्ति को उसमें निर्निहित कर दे या इस निमित्त ऐसे निदेश के अनुपालन में जो उस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जिसके आदेश से सम्पत्ति उसमें निहित है।

(2) ऐसा निदेश कोषपाल से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने में निहित किसी सम्पत्ति का विक्रय या अन्यथा व्ययन करे और निदेश जारी करने वाले प्राधिकारी की मंजूरी से सम्पत्ति के विक्रय या अन्य व्ययन के आगम धन की ऐसी प्रतिभूति में विनिहित करे जो <sup>2</sup>[निदेश में विनिर्दिष्ट] हो या स्थावर सम्पत्ति के क्रय में लगाए।

(3) जब पूर्त विन्यास कोषपाल को इस धारा के अधीन <sup>1</sup>[समुचित सरकार] द्वारा दिए गए निदेश से किसी सम्पत्ति से निर्निहित किया जाए तो वह उसका प्रशासन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगी और उसके या उनके द्वारा उन्हीं न्यास निबंधनों पर धारित की जाएगी जिन पर वह उस कोषपाल द्वारा धारित थी।

**11. कुछ आकस्मिकताओं में कोषपाल के पद के बने रहने के लिए उपबन्ध**—यदि उस सरकारी अधिकारी का, जो पूर्त विन्यास कोषपाल के रूप में नियुक्त किया गया हो, पद समाप्त कर दिया जाए या उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाए तो <sup>1</sup>[समुचित सरकार] उसी या अन्य सरकारी अधिकारी को उसके पदनाम से ऐसा कोषपाल नियुक्त कर सकेगी और तब उपर्युक्त पद के धारक के बारे में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ यह समझा जाएगा कि वह पूर्वोक्त धारक का पद-उत्तरवर्ती है।

<sup>3</sup>[**12. सम्पत्ति का एक कोषपाल से दूसरे को अन्तरण**—यदि क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण या भारतीय पूर्त विन्यास कोषपाल की नियुक्ति के कारण, या किसी ऐसे राज्य के लिए, जिसके लिए ऐसा कोषपाल पहले नियुक्त न किया गया हो, पूर्त विन्यास कोषपाल की नियुक्ति के कारण, या किसी अन्य कारण से केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित कोई अन्य सम्पत्ति ऐसे कोषपाल में निहित की जानी चाहिए तो वह सरकार निदेश दे सकेगी कि वह सम्पत्ति इस प्रकार निहित हो और तब वह सम्पत्ति उस अन्य कोषपाल में और उसके उत्तराधिकारियों में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ इस प्रकार पूर्णतः और प्रभावी तौर पर निहित होगी मानो वह इस अधिनियम के अधीन मूलतः उसमें निहित की गई हो।]

<sup>4</sup>[**13. नियम बनाने की शक्ति**—<sup>5</sup>[(1)] <sup>1</sup>[समुचित सरकार] <sup>6</sup>[राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] इस अधिनियम से संगत ऐसे नियम बना सकेगी जो—

(क) वे फीसें विहित करें जो पूर्त विन्यास कोषपाल में इस अधिनियम के अधीन निहित सम्पत्ति की बाबत सरकार को दी जानी हों ;

(ख) उन मामलों को और उन ढंगों को विनियमित करें जिनमें कोई स्कीमें या उनके परिवर्तन धारा 5 के अधीन बनाए या किए जाने के पूर्व प्रकाशित किए जाने हों ;

(ग) वे प्ररूप विहित करें जिनमें पूर्त विन्यास कोषपाल द्वारा लेखे रखे जाने हों और वह ढंग विहित करें जिसमें ऐसे लेखाओं को लेखापरीक्षा कराई जाए, तथा

(घ) साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करें।]

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय शासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) में उल्लिखित” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1920 के अधिनियम 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 के भाग 1 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा उपधारा (1) का लोप किया गया। 1982 के अधिनियम सं० 56 की धारा 2 द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) को उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

<sup>6</sup> 1982 के अधिनियम सं० 56 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>1</sup>[(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप से ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

**14. सरकार और कोषपाल का संरक्षण**—इस अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात की बाबत, अथवा इस अधिनियम के अधीन सरकार पर पड़ने वाले किसी कर्तव्य को न करने या उसमें उपेक्षा करने की बाबत, अथवा इस अधिनियम द्वारा सरकार को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या प्रयोग की बाबत कोई वाद सरकार के विरुद्ध संस्थित न किया जाएगा और ऐसे वाद के सिवाय जो सम्पत्ति को पूर्ण विन्यास कोषपाल में इस आधार पर निर्निहित करने के लिए हो कि वह पूर्ण प्रयोजनार्थ न्यास के अधीन नहीं है अथवा जो उसमें निहित किसी सम्पत्ति या उसकी आय की हानि या उसके दुरुपयोजन की बाबत उसे उस दशा में प्रभार्य या जवाबदार बनाने के लिए हो जब हानि या दुरुपयोजन उसकी जानबूझकर की गई उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुआ हो, कोई वाद पूर्ण विन्यास कोषपाल के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा।

**15. महाधिवक्ता और शासकीय न्यासी की बाबत व्यावृत्ति**—इस अधिनियम की किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह पूर्ण के संबंध में कार्य करने के <sup>2</sup>\*\*\* महाधिवक्ता के प्राधिकार के बारे में तत्समय प्रवृत्त <sup>3</sup>[किसी अधिनियमिति के] प्रवर्तन पर, या पूर्ण प्रयोजन के लिए शासकीय न्यासी के न्यास के रूप में सम्पत्ति निहित होने के बारे में <sup>3</sup>[शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 (1913 का 2)] पर, प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

**16. [सपरिषद् गवर्नर का साधारण नियंत्रण प्राधिकार]**—न्यागमन अधिनियम, 1920 (1920 का 38) की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा निरसित।

<sup>1</sup> 1982 के अधिनियम सं० 56 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “प्रेसिडेन्सी पर” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा कतिपय शब्दों और अंको के स्थान पर प्रतिस्थापित।